प्रषक,

आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक सी0 / /एन0ओ0सी0 / 2012 13 दिनांक 02 04 2013

विषय:–ऐलेन हाउस पब्लिक स्कूल, 10 / 441 खलासी लाइन, कानपुर नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका शासनादेश संख्या 1916 / 15–7–09 01(299) / 2007 दिनॉक 14–07–2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनॉक 19–03–2013 में लिए गये निर्णयानुसार ऐलेन हाउस पब्लिक स्कूल, 10 / 441 खलासी लाइन, कानपुर नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नही है–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा प्राथमिक शिक्षा परिषद, काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है। तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

5– संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

For Allen House Public School

Manager

Allenhouse Public School
10/441, Khalasi Line, Kanpur

Principal

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त के लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा।

9– उक्त शर्तो मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन कराना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(शालिनी प्रसाद)
आयुक्त
कानपुर मण्डल, कानपुर

पृ०सं०:सी०/ 87-93 /2012–13 दिनॉक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ।

2– जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

3– शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र० शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।

4– जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।

5– निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।

6– प्रवन्धक/सचिव, ऐलेन हाउस पब्लिक स्कूल, 10/441 खलासी लाइन, कानपुर नगर।

7– गार्ड फाइल।

2.4.13

(विनय कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
कानपुर मण्डल, कानपुर

For Allen House Public School
Manager

Allenhouse Public School
10/441, Khalasi Line, Kanpur
Principal